

डॉ० विष्णु श्रीधर वाकणकर

राष्ट्रीय सम्मान

राज्य शासन द्वारा संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय के अंतर्गत "राष्ट्रीय डॉ० विष्णु श्रीधर वाकणकर सम्मान" स्थापित कर सम्मान प्रदान करने के लिये निम्नलिखित नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित की है :-

- 1. सम्मान का नाम** – यह योजना " डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर सम्मान" के नाम से जाना जावेगा।
- 2. उद्देश्य** – पुरासम्पदा के संरक्षण एवं पुरातात्विक, संस्कृति के क्षेत्र में रचनात्मक अवदान, सृजनात्मकता एवं विशिष्ट उपलब्धियों का सम्मान।
- 3. संख्या** – यह सम्मान प्रतिवर्ष प्रदान किया जायेगा। यह 'एकल' सम्मान होगा अर्थात् यह सम्मान संयुक्त रूप से नहीं दिया जावेगा।
- 4. सम्मान की राशि** – इस सम्मान के अंतर्गत पुरस्कार के रूप में दो लाख की राशि के साथ प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान पट्टिका प्रदान की जावेगी।
- 5. पात्रता** – यह पुरस्कार पुरासम्पदा के संरक्षण एवं पुरातात्विक संस्कृति के क्षेत्र में रचनात्मक अवदान, सृजनात्मकता एवं विशिष्ट उपलब्धियां अर्जित करने वाले सक्रिय भारतीय नागरिक/संस्था को दिया जावेगा।
- 6. अन्य शर्तें** – सम्मान के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु प्रतिवर्ष प्रमुख राष्ट्रीय/प्रादेशिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए जावेंगे। साथ ही प्रदेश के राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं इतिहास तथा पुरातत्व शोध के क्षेत्र में शोध संस्थानों से भी सम्मान हेतु अनुशंसा/नामांकन प्राप्त किए जावेंगे।
- 7. चयन प्रक्रिया**– सम्मान के अंतर्गत पुरस्कार के चयन हेतु प्रतिवर्ष "जूरी" (चयन समिति) का गठन संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय के प्रस्ताव पर प्रशासकीय विभाग द्वारा किया जावेगा। इस चार सदस्यीय जूरी में देश-प्रदेश के प्रतिष्ठित पुरातत्वविद्,

इतिहासकार एवं विशेषज्ञ सम्मिलित रहेंगे। सदस्यों को आमंत्रण तथा बैठक के संयोजन की कार्यवाही सचिव, संस्कृति विभाग द्वारा की जावेगी।

सम्मान के चयन का मापदण्ड संबंधित क्षेत्र में उच्च कोटि की सृजनात्मकता, विशिष्ट उपलब्धि, अनवरत साधना तथा असंदिग्ध और निरपवाद योगदान रहेगा। चयन के समय, अनुशंसित व्यक्ति/संस्था का सृजनात्मक रूप से सक्रिय होना अनिवार्य है। सम्मान हेतु अनुशंसित प्रविष्टि के समग्र रचनात्मक अवदान पर विचार किया जावेगा।

चयन समिति सर्वसम्मति से निर्णय कर अपनी अनुशंसा राज्य शासन को प्रस्तुत करेगी, जो कि शासन के लिए बंधनकारी होगी। इस सम्मान से एक बार पुरस्कृत व्यक्ति/संस्था को पुनः यह सम्मान प्रदान नहीं किया जा सकेगा। चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रविष्टियों/अनुशंसाओं के अतिरिक्त समिति स्वविवेक से अन्य नामों पर विचार करने हेतु स्वतंत्र होगी। चयन समिति द्वारा अनुशंसित व्यक्ति/संस्था से सम्मान ग्रहण करने के लिए स्वीकृति प्राप्त की जावेगी। चयन समिति की अनुशंसा पर शासन की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही यह सम्मान घोषित किया जावेगा। घोषणा के पूर्व सभी कार्यवाही गोपनीय रहेगी। यदि चयन समिति सम्मान के लिए किसी भी व्यक्ति/संस्था को उपयुक्त नहीं पाती है तो उस वर्ष यह सम्मान किसी अन्य को नहीं दिया जा सकेगा। सम्मान घोषित हो जाने के बाद, सम्मानित व्यक्ति/संस्था द्वारा इसे स्वीकार न किये जाने पर उस वर्ष किसी अन्य को यह सम्मान नहीं दिया जा सकेगा। विशिष्ट परिस्थितियों में यदि चयन समिति सर्वसम्मति से निर्णय लेने में असमर्थ रहती है और एक से अधिक अनुशंसाएँ प्रस्तुत करती है तो ऐसी स्थिति में शासन को चयन समिति की अनुशंसा अस्वीकार करने का अधिकार होगा और यह चयन प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जा सकेगी।

.....

डॉ० विष्णु श्रीधर वाकणकर

राष्ट्रीय सम्मान

पुरासम्पदा के संरक्षण एवं पुरातात्विक संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर की उत्कृष्ट प्रतिभा को सम्मानित और प्रोत्साहित करने के लिये मध्यप्रदेश शासन संस्कृति विभाग ने राष्ट्रीय डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर सम्मान स्थापित किया है। सम्मानित पुरातत्ववेत्ता/संस्था को रू. 2.00 लाख की नगद राशि एवं प्रशस्ति पट्टिका से अलंकृत किया जावेगा। यह एकल सम्मान है अर्थात् संयुक्त रूप से नहीं दिया जावेगा। यह सम्मान वर्ष 2005-06 से स्थापित किया गया है।

डॉ० विष्णु श्रीधर वाकणकर सम्मान पुरा सम्पदा के संरक्षण एवं पुरातात्विक संस्कृति के क्षेत्र में रचनात्मक, सृजनात्मकता एवं विशिष्ट उपलब्धियां अर्जित करने वाले सक्रिय भारतीय नागरिक/संस्था को दिया जायेगा। सम्मान के लिये प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु प्रतिवर्ष प्रमुख राष्ट्रीय/प्रादेशिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए जावेंगे, साथ ही प्रदेश के राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं इतिहास तथा पुरातत्व शोध के क्षेत्र में शोध संस्थानों से भी सम्मान हेतु अनुशंसा /नामांकन प्राप्त किए जावेंगे। सदस्यों को आमंत्रण तथा बैठक के संयोजन की कार्यवाही सचिव, संस्कृति विभाग द्वारा की जावेगी।

सम्मान चयन का मापदण्ड

1. सम्मान के चयन का मापदण्ड संबंधित क्षेत्र में उच्च कोटि की सृजनात्मकता, विशिष्ट उपलब्धि, अनवरत साधना का तथा असंदिग्ध और निरपवाद योगदान रहेगा। चयन के समय, अनुशंसित व्यक्ति/संस्था को सृजनात्मक रूप से सक्रिय होना अनिवार्य है। सम्मान हेतु अनुशंसित प्रविष्टि के समग्र रचनात्मक अवदान पर विचार किया जावेगा।
2. चयन समिति सर्वसम्पत्ति से निर्णय लेकर अपनी अनुशंसा राज्य शासन को प्रस्तुत करेगी, जो कि शासन के लिए बंधनकारी होगी।
3. इस सम्मान से एक बार पुरस्कृत व्यक्ति/संस्था को पुनः यह सम्मान प्रदाय नहीं किया जा सकेगा।
4. चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रविष्टियों/अनुशंसाओं के अतिरिक्त समिति स्वविवेक से अन्य नामों पर विचार करने हेतु स्वतंत्र होगी।

5. चयन समिति द्वारा अनुशंसित व्यक्ति/संस्था से सम्मान ग्रहण करने के लिए स्वीकृति प्राप्त की जावेगी।
6. चयन समिति की अनुशंसा पर शासन की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही सम्मान घोषित किया जावेगा। घोषणा के पूर्व सभी कार्यवाही गोपनीय रहेगी।
7. यदि चयन समिति के सम्मान के लिए किसी भी व्यक्ति/संस्था को उपयुक्त नहीं पाती है तो उस वर्ष यह सम्मान किसी अन्य को दिया जा सकेगा।
8. सम्मान घोषित हो जाने के बाद, सम्मानित व्यक्ति/संस्था द्वारा इसे स्वीकार न किये जाने पर उस वर्ष किसी अन्य को यह सम्मान नहीं दिया जा सकेगा।
9. विशिष्ट परिस्थितियों में यदि चयन समिति सर्वसम्पत्ति से निर्णय लेने में असमर्थ रहती है और एक से अधिक अनुशंसाएँ प्रस्तुत करती है तो ऐसी स्थिति में शासन को चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करने का अधिकार होगा और यह चयन प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जा सकेगी।

.....

संस्कृति विभाग, म.प्र. शासन
डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान 2015-16
अनुशंसा/प्रस्ताव प्रपत्र- आमंत्रित

राज्य शासन द्वारा संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय के अंतर्गत डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान 2005-06 में स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य पुरासम्पदा के संरक्षण एवं पुरातात्विक संस्कृति के क्षेत्र में रचनात्मक अवदान, सृजनात्मक उपलब्धियों को सम्मानित करना है। इस सम्मान के अंतर्गत पुरस्कार के रूप में दो लाख की राशि के साथ प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान पट्टिका प्रदान की जाएगी। यह सम्मान पुरासम्पदा के संरक्षण एवं पुरातात्विक संस्कृति के क्षेत्र में रचनात्मक अवदान, सृजनात्मक एवं विशिष्ट उपलब्धियां अर्जित करने वाले सक्रिय भारतीय नागरिक/संस्था को दिया जाएगा।

सम्मान के चयन का मापदण्ड संबंधित क्षेत्र में उच्च कोटि की सृजनात्मकता, विशिष्ट उपलब्धि, अनवरत साधना का तथा असंदिग्ध और निरपवाद योगदान रहेगा। चयन के समय अनुशंसित व्यक्ति/संस्था का सृजनात्मक रूप से सक्रिय होना अनिवार्य है। सम्मान हेतु अनुशंसित व्यक्ति/संस्था के समग्र रचनात्मक अवदान पर विचार किया जाएगा। इस सम्मान के लिये अनुशंसाएं विधिवत आमंत्रित की जा रही हैं। अनुशंसाएं निम्न प्रारूप में भेजी जा सकती हैं।

1. प्रस्तावकर्ता का नाम :

पता :

दूरभाष :

2. अनुशंसा

(1) पुस्तक का नाम/शोधकार्य/पुरातत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां

(2) लेखक/शोधकर्ता या पुरातत्ववेत्ता का नाम

(3) प्रकाशन/शोध/उपलब्धि वर्ष

3. (1) अनुशंसित संस्था/व्यक्ति का नाम

(2) पुरातत्ववेत्ता/शोधकर्ता/पुरातत्व के क्षेत्र में लेखक के संबंध में जानकारी -

(क) जन्मतिथि

(ख) वर्तमान पता व दूरभाष

(ग) उपलब्धियां और उसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

(घ) अन्य प्रकाशित शोध कार्यों/कृतियों/कार्यों की सूची

4. कोई अन्य टिप्पणी :

दिनांक

प्रस्तावक का नाम एवं हस्ताक्षर

टिप्पणी :-

1. यदि किसी स्तम्भ के अंतर्गत सूचना देने के लिये स्थान अपर्याप्त लगे तो उसकी क्रम संख्या का उल्लेख करते हुए एक अलग पृष्ठ संलग्न करके उसका उपयोग करें।

2. यह प्रस्ताव प्रपत्र भरकर निर्धारित अवधि में नीचे दिए हुए पते पर भेजने का कष्ट करें। यदि यह हमें 30 दिसम्बर, 2016 तक प्राप्त हो जाए तो सुविधा होगी।

इस सम्मान के लिये गठित जूरी समिति के समक्ष अनुशंसाएं विचार एवं निर्णय के लिये रखी जाएगी। जूरी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। अनुशंसाएं दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 तक "आयुक्त पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, बाणगंगा मार्ग, भोपाल-462003" म.प्र. के पते पर भेजी जा सकती है।

आयुक्त
पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय
म.प्र. भोपाल
दूरभाष 0755-2553307

**Department of Culture
Government of Madhya Pradesh**

**Dr. Vishnu Sridhar Wakankar Rastriya Samman 2015-16
Proposal / Recommendation**

Government of Madhya Pradesh (Deptt. of Culture) has instituted an annual National Award for Indian Archaeological Studies and Conservation of Cultural Heritage named **Dr. Vishnu Shridhar Wakankaer Rastriya Samman** 2005-06

The Samman carries an amount of Rs. two lakh, a citation and a plaque of honour. The award will be given to active Indian citizens/institutions for their constructive contribution, creativity and outstanding achievements in the field of conservation of archaeological heritage and archaeological culture. The norms for selection of recipient of the award will be high level creativity, outstanding achievements, continuous perseverance and undoubted and undisputed contribution in the respective field. It is mandatory that the recommended person/institution is creatively active at the time of selection. Over all construction of the entry recommended for the award would be taken into consideration.

Recommendation can be sent in prescribed proforma as given below:-

- 1- Name
Address
Telephone No.
- 2- Recommendation
 - 1- Book /research/ important achievement in the field of archaeology
 - 2- Name of the author/researcher/archaeologist.
 - 3- Year of publication /research/achievement.
- 3- i- Name of the institution /person
ii- Detail about the archaeologist/ researchers/ author or achiver in the field of archaeology
 - a) Date of birth
 - b) Present address with Tel No.
 - c) Important information/achievements
 - d) Other published research work/contribution/list of work.
- 4- other remarks

Date:

Name and Signature
Of the recommending person

Note :-

- 1- Please attach a separate sheet if required.
- 2- This form may please be sent to this office before 30 December, 2016 addressed to the Commissioner Archaeology, Archives and Museums, Banganga Raod, Bhopal-462003 M.P. Nomination received will be put before a high power jury for consideration and selection. State Government has taken a policy decision that the recommendation of the selection panel would be binding on them.

Commissioner
Archaeology, Archives & Museums
Govt. M.P. Bhopal
Tel. 0755-2553307

संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय
भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक
प्रति

/वाकण./2016

भोपाल, दिनांक

आयुक्त
जनसंपर्क संचालनालय
भोपाल

विषय:— डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान वर्ष 2014-15

संदर्भ:— इस कार्यालय का पत्र क्र 711/वाकण./2016 दिनांक 6.6.2016

—0—

उपर्युक्त विषय में संदर्भित पत्र द्वारा म.प्र. शासन, संस्कृति विभाग द्वारा संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल के अंतर्गत डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान वर्ष 2014-15 के लिये विज्ञापन जारी कराया गया था। विज्ञापन की जानकारी अति संक्षिप्त होने के कारण राष्ट्रीय सम्मान की निर्धारित अवधि में प्रविष्टियां प्राप्त नहीं हुई है।

अतः पुनः डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान वर्ष 2014-15 के लिये प्रविष्टियां आमंत्रित करने के लिये संलग्न विज्ञापन जारी करने के लिये आपकी ओर भेजा जा रहा है, जिसे प्रमुख राष्ट्रीय/प्रादेशिक समाचार पत्रों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकता के प्रमुख दो अंग्रेजी समाचार पत्रों के साथ म.प्र. के प्रमुख दो अंग्रेजी एवं दो हिन्दी समाचार पत्र में विज्ञापन जारी कराने का कष्ट करें।

कृपया इसे अपने वेबसाईट में भी जारी करें, ताकि इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मान के लिये अधिक से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हो सकें।

संलग्न-यथोक्त।

आयुक्त
पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय
भोपाल